PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN :- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail : hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : 2035/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांकः 29.12.2025

विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....................।

कृपया दिनांक 20.12.2025 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांक : –

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी–सचिव–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

बैठक में विभिन्न इकाईयों, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के कार्मिक ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से उपस्थित हुए।

अधिकारियों की उपस्थिति

1. श्री विवेकानन्द, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)।
2. श्री दीपक पाण्डे, लेखाधिकारी।

विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेंशन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थितिः–

क्र0 सं0	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्त/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0 अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा–निर्देश
1.	श्रीमती मीनू धीमान, प्रशासनिक अधिकारी	30.09.20025	मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0) कार्यालय, गढ़वाल क्षेत्र, रूड़की	प्रकरण वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
2.	श्री राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता	31.10.2025	निदेशक (परिचालन) कार्यालय, पिटकुल, देहरादून	प्रशासनिक अनुमति हेतु मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में प्रेषित किया गया है।	प्रशाासनिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है।
3.	श्री कमल कान्त, मुख्य अभियन्ता	30.11.2025	पी0एम0यू0, पिटकुल, देहरादून	प्रशासनिक अनुमति हेतु मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में प्रेषित किया गया है।	प्रशाासनिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को अवगत कराया गया कि यदि कोई संविदा कर्मी किन्हीं कारणों से विभाग में सेवा प्रदान करने में असमर्थ है/60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है या किसी संविदा कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर किसी अन्य संविदा कर्मी को नियोजित करने से पूर्व मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. बैठक में खण्ड कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों, जिनके द्वारा वर्तमान तक अपने कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की वर्ष 2025–26 हेतु के0पी0आई0 के लक्ष्य प्रेषित नहीं किये गये हैं, को वर्ष 2025–26 हेतु के0पी0आई0 के लक्ष्य निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर यथाशीघ्र मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को अवगत कराया गया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में में उनके वेतन निर्धारण की प्रविष्टि अंकित न करते हुए वेतन निर्धारण से सम्बन्धित आदेश चस्पा कर दिया जाता है। अतैव सभी कार्मिकों को उनके कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में उनके वेतन निर्धारण की प्रविष्टि अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्रमशः...............2

4. बैठक में उपस्थित कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि पी0आई0एस0 मॉड्यूल में उनके कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण की प्रविष्टि उनके स्तर पर अंकित नहीं हो पा रही है, जिस हेतु अधिशासी अभियनता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को उक्त समस्या से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
5. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में बीजकों की जाँच/परीक्षण सी0जी0एच0एस0 की नई दर सूची, जोकि वित्त विभाग द्वारा पिटकुल की वेब साईट पर अपलोड कर दी गयी है, से करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रकरणों के साथ कार्मिक का हैल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से संलग्न करने तथा जिन कार्मिकों के हैल्थ कार्ड वर्तमान तक नहीं बने हैं, उनका हैल्थ कार्ड यथाशीघ्र बनवाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(दीपक पाण्डे)
लेखाधिकारी

(विवेकानन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)